[22/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 2613]

परिशिष्ट -अ

तारांकित प्रश्न क्र. 2613
डॉ० सीतासरन शर्मा

कार्यालय थाना प्रभारी थाना डोंलरिया जिला होशंगाबाद

क0/थाप्र0/डोलरिया/947/19 दिनांक– 04.07.2019

प्रति

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला होशंगाबाद (म0प्र0)

द्वाराः– श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)
अनुभाग सिवनीमालवा जिला होशं.

विषय :– आवेदक अनिल कुमार रिछारिया पिता रघुवर निवासी हाउसिग वोर्ड कालोनी होशंगाबाद के शिकायत आवेदन की जॉच रिपोर्ट भेजने बाबत।

संदर्भः– आपके पत्र क्रमांक/पु0अ/होशं/शिकासेल/विस0/54/19 दिनांक– 30.6.19 के पालन में।

महोदय,

उपरोक्त विष्यांतर्गत निवेदन है कि आवेदक अनिल कुमार रिछारिया पिता रघुवर दयाल रिछारिया के द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र श्रीमान एसडीओपी उमेश द्विवेदी इंटारसी के कार्यालय में दिया गया जो जॉच हेतू दिनांक– 08.05.2019 को घटनास्थल थाना डोलरिया का होने के कारण उक्त आवेदन पत्र थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनील ठाकुर द्वारा सहायक उप निरीक्षक गिरीश कुमार तिवारी को जॉच हेतू दिया गया जॉच में निम्नाकिंत तथ्य प्रगट हुए जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1. उक्त विवादित भूमि कार्यालय तहसीलदार डोलरिया जिला होशंगाबाद के पत्र क्रमांक/123/तह./2016 के अनुसार उक्त विवादित भूमि कावेरी बाई दीवान निवासी दीवान खरार तहसील डोलरिया में स्थित भूमि खसरा नंबर 15/3 एवं 15/4 कुल रकबा 19 एकड भूमि चकबंदी से पूर्व अजय कुमार पिता श्रवण कुमार के नाम से दर्ज थी चकबंदी के बाद खसरा नंबर बदलकर नया खसरा नंबर 32 एवं 43 बने वर्तमान अभिलेख में खसरा नंबर 32 एवं 43 रकबा 19 एकड भूमि शंशाक पिता राजेश्वर दयाल के नाम भू अभिलेख में दर्ज है जो दीवान परिवार की पेत्रिक भूमि है कावेरी बाई दीवान परिवार की बडी मॉ थी जिसकी कोई संतान नही थी अत पेत्रिक संपत्ति संयुक्त परिवार की थी उक्त भूमि अनुविभागीय अधिकारी एवं राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के निर्णय के आधार पर उक्त जमीन आवेदक शिकायत कर्ता अनिल कुमार रिछारिया के नाम दर्ज नहीं है।

2. आवेदक अनिल कुमार रिछारिया पिता रघुवर दयाल रिछारिया निवासी हाउसिग वोर्ड कालोनी होंशं. द्वारा विवादित जमीन प्राप्त करने के लिए एसडीएम न्यायालय होशं., अपर कलेक्टर होशं. को अपील की थी सभी जगह से आवेदक की अपील निरस्त की गई थी आवेदक द्वारा दिनांक– 18.11.2011 को अपर आयुक्त उर्मिल मिश्रा नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा आवेदक अनिल रिछारिया की अपील सुनवाई हेतू स्वीकार की गई इस अपील के विरोध में अनावेदक अजय कुमार पिता श्रवण कुमार दीवान निवासी शंकर सदन राजा मोहल्ला होशं. एवं शंशाक दीवान आत्मज श्री राजेश्वर दीवान निवासी खरार दीवान जिला होशं. व अन्य के द्वारा न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर मनोज प्रशासनिक सदस्य राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में अपील पेश की गई है। सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग के अपील के आदेश को निरस्त किया गया। एवं निगरानी स्वीकार की गई। आदेश दिनांक– 09/07/2013 के अनुसार प्रमाणित है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,

3. वर्तमान में उक्त विवादित भूमि नया खसरा नंबर 32 एवं 43 कुल 19 एकड भूमि शंशाक पिता राजेश्वर दयाल निवासी खरार दीवान के नाम भूराजस्व अभिलेख में दर्ज है। जिस पर पूर्व से एवं वर्तमान में भी शंशाक दीवान काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है उक्त जानकारी श्रीमान तहसीलदार के पत्र क्रमाक–1184 दिनांक– 23/05/2018 के अनुसार प्रमाणित है।

4.जॉच के दौरान आवेदक अनिल कुमार रिछारिया पिता रघुवर दयाल रिछारिया निवासी हाउसिग वोर्ड कालोनी होंशं. को सूचना देकर थाना डोलरिया बुलाया गया जिसके दिनांक– 20/05/2019 को कथन लिए गए जिसने अपने कथनों में बताया कि ग्राम खरार दीवान में पुराना खसरा नबंर 15/3 एवं 15/4 कुल रकबा 19 एकड को अजय दीवान एवं शंशाक दीवान जो मेरे मामा के लडके है उनके द्वारा धोखाधडी करके षड्यंत्र पूर्वक अवैध नामांतरण कराया गया। एक पक्षीय आदेश राजस्व मंडल ग्वालियर से कराया गया है जिसके विरूद्ध मे आवेदक द्वारा जबलपुर हाई कोई में अपील करना बताया है।

5. जॉच के दौरान अनावेदक अजय दीवान पिता स्व. श्रवण कुमार दीवान निवासी दीवान खरार हाल दीवान काम्पलेक्स मीनाक्षी चौक होशं. के कथन लेख किए गए जिसने अपने कथनो में उक्त विवादित भूमि मेरी पूर्वजो की है आवेदक अनिल कुमार रिछारिया जो कि मेंरे बुआ का लडका है जिसने एसडीएम न्यायालय होशं., कमीशनर होशं., राजस्व मंडल ग्वालियर में अपने नामांतरण बाबत अपील की सभी संबधित न्यायालय द्वारा आवेदक अनिल कुमार रिछारिया के विरोध में निर्णय दिया गया।

6. संपूर्ण जॉच के दौरान पाया कि आवेदक अनिल कुमार रिछारिया पिता रघुवर दयाल रिछारिया निवासी हाउसिग बोर्ड कालोनी होशंगाबाद की शिकायत जॉच पर पाया कि मामला दीवानी होने से न्यायालय की निगरानी में रखा गया है। दोनो पक्षों में उक्त जमीन को लेकर विवाद (रंजिश) होने के कारण प्रतिबंधात्मक कार्यवाही इस्तगासा क्रमाक 117/19 धारा 107,116(3) जाफौ का दिनांक 21.05.2019 को तैयार कर तहसील न्यायालय डोलरिया में पेश किया गया।

अतः महोदय से निवेदन है कि संपूर्ण जॉच के दौरान किसी भी प्रकार का अपराध घटित न होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई जॉच प्रतिवेदन मय दस्तावेज के श्रीमान जी और अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रेषित है।

सलंग्न दस्तावेज–

1. शिकायत आवेदन पत्र – 1
2. तहसीलदार का जॉच प्रति0 दिनांक 23.05.18
3. एसडीएम का जॉच प्रति0 दिनांक 15.06.2016
4. एडीएम द्वारा एसडीएम को लिखा पत्र दिनांक 23.06.2018
5. एसडीएम का जॉच प्रति0 दिनांक 03.07.2000
6. एसडीएम होशं. दिनांक 06.09.2000 का आदेश(अपील निरस्त करने संबधी)
7. स्थगन ओदश वल्लभ भवन मंत्रालय दिनांक 12.07.2000
8. न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग आदेश दिनांक 18.11.2011
9. अपर आयुक्त नर्मदा संभाग का दिनांक 18.11.2011 का आदेश
10. राजस्व मंडल ग्वालियर दिनांक 09.07.2013 का आदेश
11. खसरा की नकल– पेज क्रमाक 01 से 08 पेज तक
12. कथन – 02
13. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का कायमी रोज0 सान्हा – 01

थाना प्रभारी
थाना डोलरिया
जिला होशंगाबाद

अनुसंधान अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल.

7/7/19
A.I.G. (Complaints)
PHQ, BHOPAL